झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
द्वादश (मॉनसून) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 09 श्रावण, 1945 (श0) / 31 जुलाई, 2023 (ई0) को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01–	ग0– 01	श्री अनन्त कुमार ओझा	निष्पक्ष जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
02–	ग0– 02	श्री ढुलू महतो	डिजास्टर फोर्स का गठन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
03–	का0– 05	श्री मनीष जायसवाल	निर्णय लेना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	24.07.2023
04–	ग0– 03	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	दुकानों की निलामी।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
(आपांबु-622, दिनांबु-27.07.23 द्वारा पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित)					
05–	का0– 04	श्री किशुन कुमार दास	अंचलाधिकारी का पदस्थापन।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	24.07.2023
(आपांबु-4275, दिनांबु-26.07.23 द्वारा रा0नि0 एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित)					
06–	ग0– 13	श्री अमर कुमार बाऊरी	मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023
(आपांबु-4270, दिनांबु-25.07.23 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित).					
07–	ग0– 12	श्री निरल पुरती	पंचायत भवन को वापस करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023
08–	ग0– 07	श्री समीर कुमार मोहन्ती	साईबर थाना खोलना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
09–	ग0– 14	श्री निरल पुरती	थाना के रूप में संचालित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023

01.	02.		03.	04.	05.	06
10—	ग0—	04	श्री ढुलू महतो	पीड़ितों को मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
11—	ग0—	08	श्री कमलेश कुमार सिंह	भवनों का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
12—	का0—	01	श्री विकास कुमार मुण्डा	जानकारी प्रदर्शित करना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	22.07.2023
13—	ग0—	09	श्री कमलेश कुमार सिंह	भवन का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
14—	ग0—	10	श्री अमर कुमार बाऊरी	अतिक्रमण हटाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023
15—	वि—	02	डॉ0 सरफराज अहमद	व्यय की पूर्ति।	वित्त	22.07.2023
16—	ग0—	05	सुश्री अम्बा प्रसाद	सड़क बंद कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
17—	का0—	03	श्री राजेश कच्छप	Tribal Language की सुरक्षा।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	22.07.2023
(आपांतु-4223, दिनांतु-25.07.23 द्वारा अनु० जन०, अनु०जा०, अल्प० एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित)						
18—	ग0—	15	श्री राज सिन्हा	प्रोन्नति देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023
19—	वि—	01	श्री समीर कुमार मोहन्ती	बैंक की शाखा खोलना।	वित्त	22.07.2023
20—	का0—	07	श्री सुदेश कुमार महतो	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	24.07.2023
(आपांतु-4274, दिनांतु-26.07.23 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित)						
21—	का0—	06	श्री कोचे मुण्डा	सेवा वापस लेना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	24.07.2023
22—	ग0—	06	श्री अमित कुमार मंडल	मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
23—	का0—	02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	ग्रामीणों को लाभ देना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	22.07.2023
(आपांतु-4222, दिनांतु-25.07.23 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित)						
24—	ग0—	11	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	नौकरी मुहैया कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023

राँची,
दिनांक— 31 जुलाई, 2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/20–.....1996...../वि0स0, रांची, दिनांक–28/07/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवो को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2023
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/20–.....1996...../वि0स0, रांची, दिनांक– 28/07/23

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/20–.....1996...../वि0स0, रांची, दिनांक– 28/07/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/

25/07/2023

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि देवघर नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में दिनांक–11.02.2023 को हुई मुठभेड़ में दो पुलिस जवान आरक्षी सं०/861 स्व० रवि कुमार मिश्रा और आरक्षी सं०/303, स्व० संतोष कुमार यादव की मृत्यु हो गई थी, जिनका निवास स्थान साहेबगंज जिला में है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि जवानों के आश्रित/आश्रितों को आजतक सरकारी प्रावधानानुसार सहायता राशि, पारिवारिक पेंशन, सरकारी सेवा एवं अन्य सुविधाएँ नहीं उपलब्ध कराई गई है, तथा शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। i. आरक्षी–303 संतोष कुमार यादव एवं आरक्षी–861 रवि कुमार मिश्रा के आश्रितों को उपार्जित अवकाश एवं ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। ii. वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प–147/वि०पे०, दिनांक–05.09.2022 के आलोक में उपरोक्त मृत आरक्षी मृत्यु पूर्व विकल्प के आधार पर नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल हुए थे। नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित कर्मियों का झारखण्ड पेंशन ऑन–लाईन पोर्टल पर फारमेट उपलब्ध नहीं होने के कारण पेंशन एवं उपादान प्रपत्र को ऑन–लाईन भर कर नही भेजा जा सका है। iii. आरक्षी–861 रवि कुमार मिश्रा के आश्रित सोनी कुमारी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, देवघर कार्यालय को दिनांक–12.07.2023 को आवेदन समर्पित किया गया है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आरक्षी–303 संतोष कुमार यादव के आश्रित प्रियंका कुमारी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, देवघर कार्यालय को दिनांक–19.07.2023 को आवेदन समर्पित किया गया है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। iv. वर्णित मामले से संबंधित काण्ड का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वर्त्तमान में काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित मृत जवानों के आश्रितों को खण्ड (2) में वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध कराने, शहीद को दर्जा देने तथा उक्त वर्णित मामले की निष्पक्ष जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–07/2023–3428/ राँची, दिनांक– 30/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1669, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(12)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय विभागीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
(1) क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला में विगत 2 वर्षों में रलापुर, मुनीडीह, घोटीडीह, जोगीडीह आदि के बंद खदानों के पोखर में डुब जाने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है;	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, धनबाद का पत्रांक–2660/रा०, दिनांक–25.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस प्रकार का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं है।
(2) क्या यह बात सही है, कि नदी तालाब डैम या खदानों के पोखर में किसी के डूब जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन सिर्फ एन॰डी॰आर॰एफ॰ (NDRF) पर निर्भर है और पटना कार्यालय के निदेश पर देवघर या राँची से टीम धनबाद आती है, इसमें घंटो आने में लग जाता है और धनबाद में यदि NDRF के पास बचाव के संसाधन मौजूद होते तो कई जान बचाई जा सकती थी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आपदा बचाव कार्य हेतु धनबाद जिला में स्टेट डिजास्टर रिसपोंस फोर्स गठित कर तैनाती का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया जा चुका है तथा उक्त बल में पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। Infrastructure पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(तारांकित)–28/2023–आ०प्र०–631/राँची, दिनांक–28.07.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2023
(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Yogesh1\Rashmi Ma'am\Letter.docx 130

माननीय स०वि०स० श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–05 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 01 हजार राज्य व केन्द्र सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों सहित कई अन्य सेवा संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति के बाद भी सरकार उक्त सभी सेवा संवर्गों के अधिकारियों–पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों को उनके द्वारा पूर्व में धारित पदों को उत्क्रमित करते हुए सम्बंधित विभागों एवं जिलों में पदस्थापित कर रखी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित सेवा संहिता नियमावली अन्तर्गत किसी भी सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों को प्रोन्नति के बाद प्रोन्नत पद पर दूसरे विभाग में पदस्थापन का प्रावधान है परन्तु सरकार द्वारा उक्त नियमावली का उल्लंघन की जा रही है जिसके कारण उक्त अधिकारियों – पदाधिकारियों तथ अन्य कर्मियों में कार्य के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित मामले में निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सामान्यतः प्रोन्नति के उपरांत प्रोन्नत पद पर ही पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है। कतिपय मामलों में आवश्यकतानुसार पदों को उत्क्रमित करके भी प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–20/2023 का०– 4365 /राँची, दिनांक– 29/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1792 दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2023

(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेह I, माननीय स0वि0सं0 द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला रांकित प्रश्न संख्या 0–03 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि दिन क 6 जून 2017 को पलामू जिला अन्तर्गत नीलाम्बर–ताम्बरपुर के गांधी चौक के समीप आगजनी से करी 25 दुकानें जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई थी;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि त घटना में राकेश सोनी (उर्फ छोटू) नामक व्यक्ति ो जलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जिसके आश्रित को सिर्फ मुआवजा की राशि प्रदान की गई, परन्त प्रशासन के द्वारा प्रभावित दुकानदारों को जिला प द के द्वारा निर्मित दुकानों में प्राथमिकता के आधार पर दुकान देने की बात कही गई थी, जो आजतक न दी गई है;	इस संबंध में जिला परिषद, पलामू द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं है।
(3) क्या यह बात सही है कि वर्तम न में उक्त बाजार में जिला परिषद की दुकानों की नी मी प्रक्रिया की जा रही है;	जिला परिषद, पलामू द्वारा दुकानों की ाक प्रक्रिया वर्तमान में स्थगित है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्त स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त आगजनी प्रभ वेत दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुका आवंटन करने के पश्चात् शेष दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय ल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : pa chayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–64/2023 ——1822——/, राँची, दिनांकः–28.7.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1671 दिनांक 2 .07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–64/202 ——1822——/, राँची, दिनांकः–28.7.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय ंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–64/202 ——1822——/, राँची, दिनांकः–28.7.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–इ–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक ार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पृ0उ0..2/..

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–64 / 23——1324——/, राँची, दिनांकः–28 7 2023

प्रतिलिपिः– श्री अमरेश कुमार नीरज, विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 622(अनु0) दिनांक 27.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अमित / 28.07.2023

(5)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 का0–04 का उत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टंडवा अंचल में नियमित अंचलाधिकारी का पदस्थापन विगत तीन वर्ष से नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। विगत में अंचल अधिकारी, टण्डवा के पद का प्रभार कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री विजय कुमार दास को दिया गया था। वर्तमान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टण्डवा को अंचल अधिकारी का प्रभार दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री विजय कुमार दास को अंचलाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था परन्तु देवघर में लगने वाले श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल में एनटीपीसी, मगध–संगमित्रा, आम्रपाली–चंद्रगुप्त, एवं पिपरवार–अशोका क्षेत्र में चलने वाली कोल परियोजना में भू–सत्यापन एवं अन्य राजस्व कार्य का निष्पादन ससमय नहीं होने से वहाँ के लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वही राजस्व की भी क्षति हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टंडवा अंचल में नियमित अंचलाधिकारी का पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अंचल कार्यालय, टण्डवा में अंचल अधिकारी के पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 02/वि0स0(तारां0)–45/2023 2511 (2)/रा. राँची, दिनांक– 30/7/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञा.सं.प्र.1793/वि0स0, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष कार्य पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची (उनके पत्रांक–4275/अनु0, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में)/ माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/23

सरकार के उप सचिव

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर ओ0पी0 वर्ष–2000 से पंचायत भवन में संचालित की जा रही थी ;	तांतनगर ओ०पी० का कार्य संचालन दिनांक–15.08.2001 से दिनांक–06.08.2022 तक कोकचो पंचायत भवन में हो रहा था।
2	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर ओ0पी0 नये भवन में संचालित की जा रही है और पंचायत भवन का उपयोग नहीं हो रहा है ;	दिनांक–06.08.2022 के प्रभाव से कोकचो पंचायत भवन को खाली करते हुए, इसकी जिम्मेवारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तांतनगर को दे दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खाली पड़े पंचायत भवन को मूल विभाग को उपयोग हेतु वापस करना चाहती है; हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्पष्ट किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–15/2023–3426/ राँची, दिनांक– 29/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1798, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिला में बिस्टुपुर, जमशेदपुर में एक मात्र साईबर थाना स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि घाटशिला अनुमण्डल के सुदुरवर्ती गाँवों से जमशेदपुर की दूरी काफी लम्बी पड़ जाती है तथा कोई साईबर अपराध होने पर शिकायत दर्ज कराने हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए ग्रामीणों को बिस्टुपुर, जमशेदपुर जाना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। साईबर अपराध होने पर जिला के किसी भी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए घाटशिला अनुमण्डल में एक साईबर थाना खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में घाटशिला अनुमण्डल में साईबर थाना के सृजन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–15/2023–3425/ राँची, दिनांक– 29/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1675, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर ओ0पी0 वर्ष–2000 से संचालित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर ओ0पी0 दिनांक–15.08.2001 से संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि नये भवन के निर्माण के पश्चात् नये भवन में ओ0पी0 संचालित किया जा रहा है, लेकिन तांतनगर ओ0पी0 पुलिस थाना के निर्धारित मानदंड पूरा करती है ;	तांतनगर ओ०पी० को थाना में उत्क्रमित किये जाने का वर्त्तमान में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम अन्तर्गत तांतनगर ओ0पी0 को पुलिस थाना के रूप में संचालित करना चाहती है; हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। आवश्यकता, मापदण्ड एवं वित्तीय पहलू के विचारण की कार्रवाई समय–समय पर सरकार द्वारा की जाती है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–17/2023–3427/ राँची, दिनांक–30/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1795, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला में विगत दिनों अवैध उत्खनन के दौरान खदान/चाल धंसने की अनेकों घटनाएँ उजागर हुई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खदान/चाल धंसने से हजारो मजदूरों के मरने की सूचनाएँ प्राप्त हुई है, जिनमें अधिकांश आदिवासी वर्ग के है जो रोजी रोजगार के अभाव में अवैध उत्खनन कर जीवन यापन को विवश है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुर्घटना के दौरान किसी समुदाय/जाति विशेष के व्यक्ति के मरने की विशिष्ट सूचना प्राप्त नही हुई है।
3	क्या यह बात सही है, कि खदान/चाल धंसने से मरने वाले मजदूर प्रशासन एवं कोयला माफियाओं के डर से शव लेकर भाग जाते है अथवा अपने परिजनों की दब कर मर जाने पर चुप्पी साध लेते है, जिससे मौलिक अधिकार एवं मुआवजा से बंचित है ;	अस्वीकारात्मक। इस प्रकार की सूचना प्राप्त नही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खदान/चाल धंसने की सूचनाओं की उच्च स्तरीय जाँच कराने तथा चिन्हित पीड़ितों को मुआवजा देने एवं दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०(10)–10/2023–4375/ राँची, दिनांक–30/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1672, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–473, दिनांक–27.02.2023 के द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू को उपकारा, हुसैनाबाद के गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण से संबंधित साइट प्लान एवं डीपीआर तैयार कराकर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है ;	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची के नहीं बल्कि कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–473, दिनांक–27.02.2023 द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू को उपकारा, हुसैनाबाद के निर्माण से संबंधित साइट प्लान एवं डीपीआर झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची से तैयार कराकर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित उपकारा हुसैनाबाद के भवनों के निर्माण के संदर्भ में साइट प्लान एवं डीपीआर संबंधित कोई कार्य दिनांक–15.07.2023 तक नहीं कराए गए है ;	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू के पत्रांक–625, दिनांक–28.02.2023 द्वारा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची को उपकारा, हुसैनाबाद में गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों आदि के निर्माण कार्य हेतु **Site Plan** एवं **DPR** तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो संप्रति अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत उपकारा, हुसैनाबाद के भवनों का शीघ्र निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	**Site Plan** एवं **DPR** प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(ता०)–807/2023–4372/ राँची, दिनांक–29/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1676, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड, अंचल जैसे सरकारी कार्यालयों से निरंतर कार्यो में अनियमितता एवं अनुचित व्यवहार की शिकायत लगभग हर सरकार के कार्यकाल में मिलती रहती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पीड़ितों के पास त्वरित शिकायत हेतु कोई सहज विकल्प नहीं होता है जहाँ उनके समस्या को गंभीर रूप से सुना एवं निष्पादित किया जा सके;	अस्वीकारात्मक। केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली (CPGRAMS)के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के संबंध में ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकता है। केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली (CPGRAMS) के तहत राज्य को अबतक 90013 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमे से 85114 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। दर्ज शिकायत की अद्यतन स्थिति तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन(Action Taken Report) संबंधित व्यक्ति ऑनलाईन प्राप्त कर सकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार, सभी सरकारी कार्यालयों के समीप, संबंधित कार्यालय के संबंध में जनता के अधिकार, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत करने का सहज एवं उचित फोरम एवं शिकायत पेटी उपलब्ध करवा कर उसकी जानकारी प्रदर्शित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों नहीं?	जन शिकायतों के निष्पादन हेतु CPGRAMS पोर्टल क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त आम जनता अपना लिखित शिकायत संबंधित कार्यालय में समर्पित कर सकती है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांकः–16/वि०स०प्र०–08–05/2023 का0 4299/ राँची, दिनांक 26/07/2023।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1668 वि०स० दिनांक–22.07.2023 के आलोक में श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– का – 01 का लिखित उत्तर की 200 प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/07/2023

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत बिहार राज्य की सीमा पर अवस्थित दंगवार ओ०पी० की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी ;	अस्वीकारात्मक। दंगवार में 2013 से ओ०पी० कार्यरत नहीं है बल्कि वर्ष 2018 से पुलिस पिकेट कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित दंगवार ओ०पी० का अपना भवन नहीं रहने के कारण यहाँ पदस्थापित कर्मियों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	वर्तमान में दंगवार पुलिस पिकेट पुराने स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार, हुसैनाबाद थाना अंतर्गत दंगवार ओ०पी० का अपना भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	भूमि एवं बजटीय उपलब्धता के आलोक में विभाग शीघ्र निर्णय लेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–806/2023–4369/ राँची, दिनांक–29/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1677, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चंदनकियारी प्रखण्ड के सियालजोरी थाना अंतर्गत चंदाहा ग्राम में भगवान शिव का मंदिर है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी चास बोकारो के आदेश पत्रांक–1077, दिनांक–12.04.2023 के आलोक में दिनांक–07.06.2023 को अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्यावाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना था;	स्वीकारात्मक। अंचलाधिकारी, चास का ज्ञापांक–1077, दिनांक–12.04.2023 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, चास का ज्ञापांक–627/गो0, दिनांक–07.06.2023 को अतिक्रमण मुक्त कराना था। परंतु अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर स्वंय अतिक्रमणकारियों के द्वारा खाली करने हेतु समय का मांग किया गया था। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह का मौखिक रूप से समय दिया गया था। पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी चास बोकारो का ज्ञापांक–1802/न्या0, दिनांक–18.07.2023 के माध्यम से आदेश जारी किया गया है, जिसमें दिनांक–07.08.2023 को भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु श्री कुमार कनिष्क कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा अंचल अधिकारी, चास, बोकारो को वरीय प्रभार दिया गया है। थाना प्रभारी, सियालजोरी को प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी से समन्वय स्थापित कर स्थल पर विधि–व्यवस्था संधारण में आवश्यक सहयोग करने का आदेश निर्गत किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि चंदनकियारी प्रखण्ड के सियालजोरी थाना अंतर्गत चंदाहा ग्राम के भगवान शिव के मंदिर से अभी तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई नहीं की गयी है;	स्वीकारात्मक। शिव मंदिर से अभी तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई नहीं की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चंदनकियारी प्रखण्ड के सियालजोरी थाना अंतर्गत चंदाहा ग्राम में भगवान शिव के मंदिर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–31/2023–4378/ राँची, दिनांक– 30/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1796, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ० सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वि०–02 का उत्तर।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आकस्मिकता निधि से 69.72 करोड़ की अग्रिम राशि आहरित की गयी। जिसमें से 15.34 करोड़ की राशि ऐसे व्यय की पूर्त्ति के लिए उपयोग में लाया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे ?	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आकस्मिकता निधि से 69.72 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया था, जिसमें माननीय पूर्व विधायकों का चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, विधान सभा के पदाधिकारियों का वेतन, माननीय मंत्रीगणों का यात्रा व्यय, माननीय विधायकगण का वैवेकिक अनुदान (Discretionary Grants), वाणिज्य कर विभाग के लिए दूर–संचार सेवा, पुलिस बलों के लिए खेल प्रोत्साहन, राज्य का स्थापना दिवस आदि के लिए 15.34 करोड़ रुपये का आकस्मिकता निधि से अग्रिम शामिल है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग गैर आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम खाते के रूप में किया गया था ?	इस संबंध में वित्त विभाग का पत्र निर्गत है कि अप्रत्याशित एवं अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आकस्मिकता निधि से अग्रिम की माँगें करें। गैर आकस्मिक एवं अनावश्यक कार्य के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम नहीं दिये जाते हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि आकस्मिकता निधि के आपातकालीन एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्त्ति के अतिरिक्त कोई अग्रिम आहरित न हो, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत के संविधान के अनुच्छेद–267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा–4 के अधीन केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जिसे विधान सभा द्वारा स्वीकृति दिये जाने तक टाला जाना वांछित नहीं है, के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–18 / 2023 / 477 राँची, दिनांक : 27/07/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञांप सं० प्र०–1679 / वि०स०, दिनांक–22.07.2023 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/2023

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चट्टी बारियातू कोयला खनन परियोजना से टंडवा पावर प्लांट तक कोयले की ट्रांसपोर्टिंग ग्रामीण सड़क पर किए जाने के मामले पर काफी विरोध तथा धरना प्रदर्शन उक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि ग्रामीणों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के कारण कोयला ट्रांसपोर्टिंग काफी दिनों तक बंद रहा, जिसके प्रशासन हजारीबाग तथा कंपनी प्रबंधन के द्वारा लिखित आश्वासन मिला कि ग्रामीण सड़क का उपयोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए किया जाएगा तत्पश्चात ट्रांसपोर्टिंग के लिए नया रास्ता बनाया जाएगा ;	स्वीकारात्मक। एन०टी०पी०सी० के द्वारा अलग से ट्रांसपोर्टिंग के लिए जमीन अधिग्रहित कर सर्वे कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है, कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रांसपोर्टिंग का कार्य ग्रामीण सड़क से किया जा रहा है जिसके कारण सड़के काफी जर्जर हो गई है एवं विरोध में ग्रामीणों द्वारा बार–बार चट्टी बारियातू से कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दी जाती है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या बनी रहती है ;	स्वीकारात्मक। जमीन अधिग्रहित होने के पश्चात् सड़क का निर्माण कर ट्रांसपोर्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। विधि–व्यवस्था के लिए थाना स्तर से निगरानी रखी जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चट्टी बारियातू कोयला खनन परियोजना से निकलने वाले कोयले का परिवहन ग्रामीण सड़क से बंद कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०–(10)–09/2023–4376/ राँची, दिनांक– 30/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1673, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–03 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संविधान की धारा–350(A) में प्रावधान है कि भाषायी रूप में पिछड़े TRIBAL LANGUAGE की सुरक्षा प्रदान करना राज्य शासन का प्राथमिक दायित्व है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित धारा के तहत् राज्य को Primary School से लेकर University स्तर तथा Tribal Language में पढ़ाई सुनिश्चित करना अति आवश्यक है जिसका अनुपालन अबतक राज्य में नहीं हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची विश्वविद्यालय, राँची में सभी नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुचारू रूप में संपन्न हो रहा है। स्नातकोत्तर की सभी नौ भाषाओं में क्षेत्रीय भाषा के 04 एवं जनजातीय भाषा के 05 भाषाओं में अलग–अलग विभाग स्थापित किया गया है एवं पढ़ाई हो रही है। राँची विश्वविद्यालय एवं उसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के कुल 165 पद स्वीकृत के विरूद्ध 32 शिक्षक एवं घंटी आधारित 120 शिक्षक कार्यरत हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में हो संथाली क्षेत्रीय भाषा के स्वीकृत पद 08 के विरूद्ध 03 शिक्षक कार्यरत हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत 06 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होती है। सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में क्षेत्रीय भाषा के 18 स्वीकृत पद के विरूद्ध 06 घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत हैं। स्नातकोत्तर विभाग में Tribal and Regional Language से संबंधित विषय में पढ़ाई हो रही है, यह विषय M.A in Santal Culture Studies है। डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में क्षेत्रीय भाषा के 20 स्वीकृत पद के विरूद्ध 05 शिक्षक कार्यरत हैं। नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा के 08 स्वीकृत पद के विरूद्ध 02 शिक्षक कार्यरत हैं। GLA College Medininagar एवं M K College, Panki में Tribal Language की पढ़ाई होती है। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में Centre for Tribal Studies की स्थापना की गई है तथा स्नातकोत्तर स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं खोरठा, कुरमाली एवं संथाली विषय में Certificate Course की पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही 03 अंगीभूत तथा 07 संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में जनजातीय भाषा में 01 (एक) पद स्वीकृत है, जो रिक्त है।

		विश्वविद्यालय एवं उसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में पदों के Restructing की कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं (TRL) के पदों को सम्मिलित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा Tribale Language के Protection एवं Tribale आबादी के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय' शुरू किया जा रहा है, जिस हेतु आवश्यक अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम संख्या–12, 2022) दिनांक 28.09.2022 को अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में अवस्थित होगा लेकिन इसके क्षेत्रीय केन्द्र और परिसर पुरे राज्य में होंगे, जिसके माध्यम से जनजातीय भाषा–संस्कृति–ज्ञाण आदि को सहेजने एवं विकसीत करने का कार्य किया जायेगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु कुल 279 पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति हेतु वित्त विभाग को पृष्ठांकित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए 97 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पुरी कर ली गई है और नियुक्ति हेतु अधियाचना जे0पी0एस0सी0 को भेजी जानी है।
3.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन द0 बिहार और अब झारखण्ड में 1953 एवं 1971 में नीति (RULE) बनाया गया परन्तु राज्य में लागू नहीं किया गया ;	कंडिका–2 में निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय के मद्देनजर Tribale Language की PROTECTION हेतु कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका –2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–87/2023 1619 / रॉची, दिनांक 30/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1761, दिनांक–28.07.2023 एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञाप–1666, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2019 में विभिन्न जिला/वाहिनी एवं इकाई में पदस्थापित/हवलदार की कोटी में प्रोन्नति हेतु क्षेत्रीय चयन पर्षद के द्वारा अवलोकनोपरांत 304 चालक आरक्षी की सूची तैयार की गई थी ;	आंशित स्वीकारात्मक। वर्ष–2019 में विभिन्न जिला वाहिनी एवं इकाई में पदस्थापित चालक आरक्षी को चालक हवलदार कोटि में प्रोन्नति हेतु कुल 348 कर्मियों की प्रोन्नति के मामले पर विचार किया गया था, जिसमें 304 कर्मियों को योग्य पाया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2020 में झा0स0पु0 /आई0आर0बी0 के चालक आरक्षी से चालक हवलदार में प्रोन्नति हेतु चयन पर्षद द्वारा सूचित आरक्षी चालकों को एक वर्ष में प्रोन्नति दे दी गई है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2019 में विभिन्न जिला/वाहिनी एवं ईकाई में पदस्थापित चालक आरक्षियों को भी चयन पर्षद द्वारा एक वर्ष के भीतर प्रोन्नति देना चाहिए था;	आंशिक स्वीकारात्मक। केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा लिए गये निर्णय के वृत्त पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के अनुमोदनोपरांत सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रसारित किया गया था। परन्तु विधान सभा आम चुनाव, 2019 में आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात् आदेश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया था। परन्तु कोविड–19 के लॉकडाउन के स्थिति के आलोक में हवलदार कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य कर्मियों का प्रोन्नति–सह–स्थानांतरण की कार्रवाई नही हो सकी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०–821, दिनांक–05.02.2021 एवं ज्ञापांक–6752, दिनांक–24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगा दी गयी थी। फलस्वरूप मामला प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झा0स0पु0/आई0आर0बी0 के चालक आरक्षियों की तरह जिला बल में भी पदस्थापित चालक आरक्षियों को प्रोन्नति देना चाहती है; हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	मामला प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–08/2023 3423 / राँची, दिनांक–29/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1795, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– वि0– 01 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखण्ड के पूर्वोत्तर क्षेत्र एक विस्तृत जनबहुल क्षेत्र है, जहाँ कोई सरकारी बैंक शाखा कार्यरत नहीं है;	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखण्ड के पूर्वोत्तर भाग में बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक–एक बैंक शाखा कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त क्षेत्र में सरकारी बैंक का शाखा नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में लोगों को वित्तीय लेनदेन में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	उपर्युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत तीन (03) पंयायतों की कुल आबादी लगभाग 20,000 है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के दो (02) बैंक शाखाओं के साथ–साथ पाँच (05) Banking Correspondent (BC) द्वारा वित्तीय सेवाएँ लोगो को प्रदान की जा रही है। उक्त क्षेत्र से चाकुलिया बाजार की दूरी 10 किलोमीटर है, जहाँ बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक एवं झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक की कुल पाँच (05) बैंक शाखाएं कार्यरत हैं एवं तीन (03) ATM मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र के अन्तर्गत शान्तिनगर में एक सरकारी बैंक का शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	SLBC द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक, पूर्वी सिंहभूम को उपर्युक्त विषय के संदर्भ में नियमानुसार विचार हेतु District Consultative Committee (DCC) की बैठक के एजेंडा में रखने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:10 / वि0स0(4)–17 / 2023:317 / राँची, दिनांक:2023 /

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1678 / वि0स0 दिनांक 22.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कौशल
28-07-23

(कौशल किशोर झा)
सरकार उप सचिव।

(20)

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय द्वारा गृह रक्षकों की चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन संख्या–01/2019 निकाली गई थी ;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग द्वारा गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु विज्ञापन संख्या–01/2019 प्रकाशित की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि चयन प्रक्रिया की सभी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कुल 1298 अभ्यार्थियों की सूची जिला उपायुक्त हजारीबाग के द्वारा दिनांक–29.07.2021 को जारी की गई थी ;	आशिंक स्वीकारात्मक। औपबंधिक परीक्षाफल दिनांक–28.07.2021 को NIC के साईट पर प्रकाशित किया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि परिणाम प्रकाशन के पश्चात् सभी सफल अभ्यार्थियों के योगदान हेतु 30 नवम्बर 2021 तक नियुक्ति पत्र निर्गत करने की बात कही गई थी ;	जिला समादेष्टा–सह–सदस्य नवनामांकन समिति, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, हजारीबाग के द्वारा विज्ञापन संख्या–1/2019 के संबंध में सभी प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित करने की सूचना दिनांक–05.07.2021 को दी गई है। नियुक्ति पत्र के संबंध में इस सूचना में किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।
4	क्या यह बात सही है कि 29.06.2022 को सरकार के अवर सचिव श्री चन्द्रशेखर गुप्ता के द्वारा नियुक्ति पूर्ण करने का आदेश प्राप्त है लेकिन अब तक कोई नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गृह विभाग के पत्रांक–2875, दिनांक–29.06.2022 से प्राप्त निर्देश के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–1561/ सी०, दिनांक–16.12.2022 द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2019 के तहत् गृह रक्षकों के नवनामांकन के संबंध में विभाग से दिशा निर्देश की मांग की गई है। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–1561/सी०, दिनांक–16.12.2021 के आलोक में महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–903/ओ०टी०डी०, दिनांक–17.05.2023 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के आलोक में दिशा–निदेश के बिन्दु पर कार्रवाई विचाराधीन है।
5	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गृह रक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तदैव

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०(मा०सत्र)–01/2023–.....5172/ राँची, दिनांक– 30/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1801, दिनांक 24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय कोचे मुण्डा, स0वि0स0 द्वारा दनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग में झारखण्ड सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री दयानन्द कुमार, अवर सचिव की प्रतिनियुक्ति विगत वर्ष, 2015 ये अबतक झारखण्ड लोक सेवा आयोग में है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। श्री दयानन्द कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को स्थानान्तरित करते हुए अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) के पद पर पदस्थापित किया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि किसी पदाधिकारी का इतने लम्बे समय तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति पर रहने से आयोग के पारदर्शिता और उसकी शुचिता पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है।	1. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त मो0 शहजाद अहमद, अवर सचिव की गई प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए अन्यत्र विभाग में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। 2. श्री हीरा लाल महतो, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री रितेश जुनूल सांगा, एवं श्री ओम प्रकाश लकड़ा, प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी की झारखण्ड लोक सेवा आयोग में की गई प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए अन्यत्र विभाग में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। 3. श्री सत्यम भारद्वाज, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की झारखण्ड लोक सेवा आयोग में की गई प्रतिनियुक्ति को समाप्त किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड लोक सेवा आयोग में लम्बे समय से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के अनुरोध पर समय–समय पर झारखण्ड सचिवालय सेवा के पदधारकों की प्रतिनियुक्ति आयोग में की जाती है एवं आवश्यक्तानुसार विभागीय कार्यहित में उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी जाती है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–904/2023 का 4364/ राँची, दिनांक 29-07-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1794 दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में 250 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/23
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार मण्डल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार मण्डल, मा०स०वि०स०	**श्री बन्ना गुप्ता, माननीय विभागीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग**

(1) क्या यह बात सही है कि जिला गोड्डा के गोड्डा विधानसभा अन्तर्गत अब तक निम्नांकित परिवारों का आपदा प्रबंधन के तरफ से मुआवजे की राशि नहीं मिल पायी है;

क्र०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	पंचायत	प्रखण्ड	घटना / कारण
1	पंकज मांझी	मंजूरी मांझी	तरवारां	घट मंजवारा	गोड्डा	घर में आगजनी
2	कन्हाई मांझी	मंजूरी मांझी	तरवारा	घट मंजवारा	गोड्डा	घर में आगजनी
3	ईश्वर यादव	नवीनन्द्र यादव	बोहा	बोहा	पत्थगामा	वज्रपात
4	पचिया देवी	फूचुआ मिर्धा	करमाटांड	सरौनी	गोड्डा	वज्रपात
5	गोपाल राउत	बासुदेव राउत	सैदापुर	सैदापुर	गोड्डा	वज्रपात
6	विभषण मंडल	हादो मंडल	भारतीकिता	डुमरिया	गोड्डा	वज्रपात
7	दिलकुश रविदास	विजल रविदास	जमनीकोला	जमनीकोला	बंसंतराय	वज्रपात
8	प्रेमलाल मांझी	फनी मांझी	कुबजी	रानीडीह	गोड्डा	वज्रपात
9	कामा देवी	गर्मी पासवान	जहाजकिता	सुस्ती	बसंतराय	वर्ष 2021 में अतिवृष्टि तेज तुफान आदि के कारण पूरा घर गिरा एवं नष्ट हो गया है उक्त परिवार खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। अब तक उक्त परिवार को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है।
10	दिनदयाल पंडित	जगदीश पंडित	करमाटांड	सरोनी	गोड्डा	सड़क दुर्घटना HIT & RUN

उत्तर: आंशिक स्वीकारात्मक।

क्रमांक–1, 2, 3, 4, 7 एवं 9 में वर्णित मामले के मुआवजे के भुगतान पर दिनांक–21.07.2023 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक में निर्णय ले लिया गया है, इस संबंध में आवंटन देने की कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–208 दिनांक–27.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि क्रमांक–5 में वर्णित आश्रित परिवार को अनुग्रह अनुदान राशि 4,00,000/– रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

क्रमांक–6 में वर्णित मामला विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु से संबंधित है, जिसके मुआवजे की राशि का भुगतान इस प्रभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

क्रमांक–8 में वर्णित मामला के संबंध में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार मुआवजे के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

क्रमांक–10 में वर्णित मामला उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दुमका जिला से संबंधित है।

दिनांक–21.07.2023 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में भुगतान हेतु दुमका जिला को आवंटन देने की कार्रवाई की जा रही है।

(2) यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आपदा प्रबंधन से मुआवजे की राशि गरीब लाभुकों को देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

उत्तर: कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / विधायी(तारांकित)–27 / 2023–आ०प्र०–635 / राँची, दिनांक– 30/7/2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को पूर्व में निर्गत ज्ञापांक–630 दिनांक–28.07.2023 की संशोधित प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Yogesh1\Rashmi Ma'am\Letter.docx 129

माननीय स०वि०स० श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–02 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलाअन्तर्गत निरसा प्रखण्ड से पंडुआ बैजरा पंचायत को पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड में शामिल किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है पंडुआ बैजरा पंचायत को पूर्वी टुण्डी में शामिल करने के बाद भी अब तक स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग (थाना) एवं अन्य विभाग को स्थानान्तरित कर यहाँ से संचालन नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;	इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड में उपर्युक्त खंड–2 में वर्णित विभागों को स्थानान्तरित कर ग्रामीणों को लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–23/2023 का०– 4363/राँची, दिनांक– 29/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1667 दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2023
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 02 फरवरी 2021 को तपकरा टी0ओ0पी0 के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे ग्रामीणों पर स्थानीय पुलिस द्वारा फायरिंग में 08 ग्रामीण शहीद हुए थे एवं 35 अन्य ग्रामीण घायल हुए थे;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 02.02.2001 को तोरपा थाना अन्तर्गत तपकरा ओ०पी० पर 3–4 हजार की संख्या में जुटी भीड़ निहत्थी नहीं थी, बल्कि बलवाईयों द्वारा आग्नेयास्त्र एवं हरवे हथियार से लैश होकर तपकरा ओ०पी० पर हमला कर दिया गया था तथा ओ०पी० के बाहर खड़ी सरकारी वाहन में आग लगा दिया गया। बलवाईयों द्वारा ओ०पी० में ईंट, पत्थर एवं गोली चलाना शुरू कर दिया गया, जिसपर वहां ग्रामीण मौजूद कई पुलिस पदाधिकारी, दण्डाधिकारी एवं पुलिसकर्मी घायल हो गए। जबकि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा कई बार बलवाईयों को समझाने का प्रयास किया गया। बलवाई द्वारा और उग्र होकर पुलिस बल पर जान मारने की नियत से हमला किया गया। पुलिस द्वारा सरकारी सम्पत्ति एवं जान माल की क्षति को बचाने हेतु आत्मरक्षार्थ बलवाईयों पर दण्डाधिकारी के आदेशानुसार गोली चलायी गयी, जिसमें बलवाईयों का भीड तीतर–बीतर हो गया। तत्पश्चात् घटनास्थल का निरीक्षण में 05 बलवाई मृत पाये गये एवं गम्भीर रूप से जख्मी 03 बलवाईयों की मृत्यु ईलाज के दौरान रिम्स, राँची में हो गयी थी तथा 01 पुलिसकर्मी को बलवाईयों द्वारा हत्या कर शव को जला दिया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि उन घायलों में से 06 ग्रामीण अपंग हो गए थे, जिनमें 03 की मृत्यु हो गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गम्भीर रूप से जख्मी 03 बलवाईयों की मृत्यु ईलाज के दौरान रिम्स में हो गया थी। घायल ग्रामीणों को अपंग होने की बात प्रकाश में नहीं आई थी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन मृत परिवार के आश्रितों को भरण–पोषण के लिए सरकारी नौकरी मुहैया कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संप्रति ऐसे मामले में मृत परिवार के आश्रितों को भरण–पोषण के लिए सरकारी नौकरी मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–32/2023–4371/ राँची, दिनांक– 29/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1797, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।